न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/601/2022
सी एन आर नंबर :— RJBD080015452022

निर्णय दिनांकः—28.07.2026

पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 293/2022 अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**अजेन्द्र सिंह** पुत्र जुगराज सिंह, निवासी श्रीशंकर धाम जैन बालिता रोड नियर अम्बर मैरिज गार्डन कुन्हाड़ी कोटा, पुलिस थाना कुन्हाड़ी, जिला कोटा (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद फिरोज खान, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	13.09.2022 से 14.09.2022 की मध्य रात्रि
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	14.09.2022
आरोप पत्र की तिथि	17.11.2022
आरोप के विरचना की तिथि	12.06.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	04.10.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	28.07.2026
निर्णय की तिथि	28.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	28.07.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	अजेन्द्र सिंह	14.09.2022	19.09.2022	धारा 19/54	दण्डादेश	धारा 19/54	05 दिवस

				राज. आबकारी अधि., 1950		राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाकर 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा 20,000 / – रूपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 06 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा	

अभियोजन साक्ष्य की सूची :–

(क) अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	गजराज सिंह	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.–2	रामभजन	मालखाना साक्षी
अ.सा.–3	हरिशंकर	मौके की कार्यवाही करने वाला, फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.–4	सत्यपाल	ताईदी साक्षी
अ.सा.–5	रमेश	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.–6	मनोज कुमार	माल एफएसएल में जमा कराने वाला साक्षी
अ.सा.–7	नन्दसिंह	अनुसंधानकर्ता

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	

(ग) न्यायालय साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :—

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	फर्द चैकिंग एवं जब्ती
2.	प्र.पी.—2	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
3.	प्र.पी.—3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्र.पी—4ए	मालखाना रजिस्टर
5.	प्र.पी.—5	तहरीरी रिपोर्ट
6.	प्र.पी.—6	चाक एफआईआर
7.	प्र.पी.—7	थानाधिकारी पुलिस थाना के. पाटन द्वारा निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला को रासायनिक परीक्षण कर नतीजा देने बाबत् लिखा गया पत्र
8.	प्र.पी.—8	अग्रेषण पत्र
	प्र.पी.—9	माल जमा कराने की रसीद
10.	प्र.पी.—10	जिला आबकारी, बून्दी के कार्यालय आदेश की प्रति
11.	प्र.पी.—11 लगायत पी—14	जब्तशुदा शराब के नष्टीकरण के फोटोग्राफ
12.	प्र.पी.—15	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
13.	प्र.पी.—16 लगायत पी—18	रोजनामचा रपट
14.	प्र.पी.—19	फर्द सुपुर्दगी कार
15.	प्र.पी.—22	आरसी की प्रति
16.	प्र.पी.—23	एफएसएल रिपोर्ट

नोटः— प्रदर्श पी—20 व पी—21 के रूप में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है।

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी—1	पुलिस बयान गवाह रमेश

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी—1 लगायत डी—4	जब्तशुदा कार के फोटोग्राफ

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
—	—	—

—:: निर्णय ::—

1. हस्तगत प्रकरण हरिशंकर एएसआई, पुलिस थाना के.पाटन, द्वारा पेश फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध शराब के आधार पर प्रारंभ हुआ जिसके मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.2022 को हरिशंकर स.उ.नि. मय जाप्ता रमेश कानि. 863 मय जीप सरकारी RJ08 UA 5078 चालक सत्यपाल कानि. 1146 के थाने से समय 23:40 पीएम पर वास्ते अवैध कार्य चैकिंग हेतु व रात्री कालीन गश्त करने हेतु कस्बा के.पाटन व ईलाका थाना रवाना होकर कस्बा के.पाटन गश्त व अवैध कार्य चैकिंग करता हुआ शुगर मिल चौराहे पर पहुंचा, तो जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति एक स्कोडा कार बरंग सफेद रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 01 CA 6009 में देशी शराब की पेटीया लेकर कापरेन की तरफ से के.पाटन कोटा की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना प्राप्त होने से उसने थाना हाजा पर रोज आम तहरीर लेखक रघुराज कानि. 832 को जरिये मोबाइल सूचना दी कि गजराज हैड कानि. 435 को 14.09.2022 को समय 1:37 एएम पर रवाना हो बून्दी रोड चौराहे पर मय जाप्ता के उसके पास पहुंचे। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना से हमराह जाप्ता को अवगत कराया तथा मेगा हाईवे पर बून्दी रोड चौराहा पर नाकाबन्दी शुरू की, तो एक कार स्कोडा कार बरंग सफेद रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 01 CA 6009 कापरेन की तरफ से आती हुई नजर आई, जिसे उसने मय जाप्ता के रुकवाया, परन्तु उक्त कार चालक ने कार को नहीं रोका तथा कोटा की तरफ तेज गति से ले जाने लगा, उसने मय जाप्ता मय जीप सरकारी मय चालक के रवाना हो उक्त कार का पीछा कर उक्त कार स्कोडा बरंग सफेद रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 01 CA 6009 को त्रिलोक एग्रो के पास मेगा हाईवे पर रुकवाया तथा कार की ड्राईवर सीट पर बैठे चालक को यथास्थिति में बैठे रहने की हिदायत दी। कार चालक को उसने अपने नाम व पद का पूर्ण परिचय देकर कार चालक का नाम पता पूछा तो अपना अजेन्द्र सिंह पुत्र जुगराज सिंह होना बताया। जिससे पुलिस जाप्ता को देखकर अपनी कार को भगाने के बारे में तथा कार के अन्दर क्या है, के बारे में पूछा तो कार चालक अजेन्द्र सिंह ने कोई संतुष्टिपूर्ण जबाब नहीं दिया। कार चालक अजेन्द्र सिंह का व्यवहार संदिग्ध प्रतीत होने से कार व चालक की तलाशी लेने बाबत रमेश कानि. 863 को स्वतन्त्र गवाहान तलाश करने हेतु भेजा। जिसने दस मिनट बाद आकर उसे बताया कि कानूनी पेचिदगियों, आपसी रंजिश व रात्री समय के कारण कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई अपने नाम पते बता रहे हैं। जिस पर हमराही जाप्ता में से रमेश कानि 863 व गजराज सिंह हैड कानि 435 से मौखिक स्वीकृति लेकर स्वतंत्र गवाह मामूर किया तथा अजेन्द्र सिंह के कब्जे की कार को चेक किया। कार की डिग्गी में नीम्बू देशी सादा मदिरा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 25 पेटीयां, प्रत्येक पेटी में 48 पव्वे मिले। पव्वे पर नीले रंग का ढक्कन लगा है जिस पर A व AGRIBIOTICH INDUSTRIES LTD AJITGARH लिखा है तथा नीम्बू देशी सादा मदिरा का लेबल लगा है। कार में पीछे की सीट पर देशी मदिरा सादा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे

की 15 पेटीया, प्रत्येक पेटी मे 48 पव्वे मिले। पव्वे पर लाल रंग का ढक्कन लगा है जिस पर राजस्थान स्टेट गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड लिखा है व देशी मदिरा सादा का लेवल लगा हुआ है। डिटेनशुदा अजेन्द्र सिंह से देशी शराब अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। बिना अनुज्ञापत्र के अजेन्द्र सिंह द्वारा देशी शराब अपने कब्जे में रखना एवं परिवहन करना धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से अभियुक्त अजेन्द्र सिंह के कब्जे से वजह सबूत अवैध नीम्बू देशी सादा मदिरा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 25 पेटीयां तथा अवैध देशी मदिरा सादा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 15 पेटीया जब्त कर कब्जे पुलिस ली गई। जबतशुदा अवैध नीम्बू देशी सादा मदिरा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 25 पेटीयों में सभी पव्वे एक जैसे है तथा अवैध देशी मदिरा सादा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 15 पेटीयों में सभी पब्वे एक जैसे है। डिटेनशुदा अजेन्द्र सिंह के पहने हुए कपडों को चेक किया तो कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उक्त जब्तशुदा अवैध नीम्बू देशी सादा मदिरा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 25 पेटीयों में से एक पेटी बतौर रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल सैम्पल निकाल कर एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क ए दिया गया। अवैध देशी मदिरा सादा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 15 पेटीयों में से एक पेटी बतौर रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल सैम्पल निकाल कर एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क बी दिया गया। शेष अवैध नीम्बू देशी सादा मदिरा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 24 पेटीयों को प्लास्टिक के छह कट्टों में, प्रत्येक कट्टे में 4 पेटीयां रख कर शील्ड मोहर कर कट्टों को मार्क C1, C2, C3, C4, C5, C6 दिया गया तथा शेष अवैध देशी मदिरा सादा शराब 180 ML के प्लास्टिक के पव्वे की 14 पेटीयों को प्लास्टिक के चार कट्टों में, 3 कट्टों में 4 पेटीयां तथा 1 कट्टे में 2 पेटीयां रख कर शील्ड मोहर कर मार्क D1, D2, D3 व 2 पेटीयां वाले कट्टे को मार्क D4 दिया गया। घटना में प्रयुक्त वाहन एक कार स्कोडा बरंग सफेद रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 01 CA 6009 को बतौर वजह सबूत अभियुक्त अजेन्द्र सिंह के कब्जे से जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। मुलजिम अजेन्द्र सिंह को जरिये फर्द पृथक् से गिरफ्तार किया किया गया, इत्यादि।

2. उक्त फर्द जब्ती व बरामदगी के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन पर मुकदमा संख्या 293/2022 अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (आगे अधिनियम, 1950 से विनिर्दिष्ट किया जाएगा) में दर्ज कर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अतंर्गत धारा 19/54 अधिनियम, 1950 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अंतर्गत धारा 19/54 अधिनियम, 1950 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई और बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 अधिनियम, 1950 का अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से कुल 07 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 23 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 संहिता, 1973 में परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने व पुलिस द्वारा मिथ्या कहानी गढ़कर झूठा प्रकरण बनाया जाना व उससे कोई शराब बरामद नहीं करने का कथन किया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए कि प्रकरण में अभियुक्त अभियुक्त को झूठे रूप से आलिप्त किया गया है, जबकि घटना की दिनांक को अभियुक्त की संबंधित पुलिस अधिकारी से कहासुनी हो गई थी और इस कारण से अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। स्वयं जब्ती अधिकारी के बयानों में मुखबिर की सूचना के स्थान के संबंध में अत्यंत विरोधाभास रहा है। जहां अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के अनुसार उसके द्वारा कुन्हाड़ी से, जब्तशुदा अवैध शराब लाना दर्शाया गया है, जबकि घटनास्थल पर अभियुक्त का कापरेन की तरफ से के.पाटन कोटा की तरफ आना दर्शाया है, जो कि बिल्कुल विपरीत स्थान है। ऐसी स्थिति में भी अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है। प्रकरण में जब्तशुदा माल के सैम्पल को अत्यंत देरी से एफएसएल जांच हेतु प्रेषित किए जाने से भी अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

7. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए पेश की गई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु पर विवेचन किया जाना है—

1. क्या अभियुक्त के सचेतन कब्जे से दिनांक 14.09.2022 को समय 2:30 बजे या उसके लगभग बमुकाम त्रिलोक एग्रो के पास मेगा हाईवे के.पाटन में अवैध नीम्बू

देशी सादा मदिरा 180 एमएल के प्लास्टिक के पव्वे की 25 पेटीयां, प्रत्येक पेटी में 48 प्लास्टिक के पव्वे, देशी मदिरा सादा शराब 180 एमएल के प्लास्टिक के पव्वे की 15 पेटीयां अपने वाहन नंबर आर.जे. 01 सी.ए. 6009 में बिना अनुज्ञा पत्र परिवहन हेतु अपने कब्जे में रखा, जिनको रखने बाबत् कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दंड क्या है?

8. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने का भार अभियोजन पक्ष पर है। सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू–3 हरिशंकर जो कि हस्तगत प्रकरण का जब्ती अधिकारी है, के बयानों का अवलोकन किया गया। उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह दिनांक 13.09.2022 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह मय जाप्ता रमेश कानि. व सत्यपाल कानि. मय जीप सरकारी के अवैध कार्यों की चेकिंग हेतु थाने से समय 23:40 पीएम पर रवाना होकर गश्त करते हुए शुगरमील चौराहे पर पहुंचे जहां जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक स्कोडा कार सफेद रंग नंबर आरजे 01 सीए 6009 में देशी शराब की पेटियां लेकर कापरेन की तरफ से के.पाटन की ओर आ रहा है। सूचना से जाप्ते को अवगत कराकर रात्री डयूटी वाले रघुराज कानि. को जरिये मोबाईल उसके द्वारा सूचना दी गयी थी कि गजराज हेडकानि. उसके लेपटोप प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स को लेकर मय ड्रेगन लाईट लेकर शुगरमील चौराहे पर भेजे। इस पर गजराज हेडकनि. लेपटोप प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स के दिनांक 14.09.2022 को समय 1:37 एएम पर थाने से रवाना हेाकर बून्दी रोड़ चौराहे पर मन एएसआई के पास पहुंचा जिस पर उसके द्वारा जाप्ते को मुखबीर द्वारा दी गयी सूचना से अवगत कराकर मय जाप्ता रवाना होकर मेगा हाईवे पर बून्दी रोड चौराहे पर पहुचंकर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान एक कार सफेद रंग की स्कोडा नंबर आरजे 01 सीए 6009 कापरेन की तरफ से आती नजर आयी, जिसको उसने जाप्ते की मदद से रूकवाना चाहा, लेकिन कार चालक ने कार को नहीं रोका तथा कोटा की तरफ तेज गति से जाने लगा जिस पर मन एएसआई ने मय जाप्ता सरकारी जीप से उक्त कार का पीछा कर कार को त्रिलोक एग्रो के पास मेगा हाईवे पर रूकवाया तथा कार की ड्राईवर सीट पर बैठे चालक को यथास्थिति में बैठे रहने की हिदायत दी। मन एएसआई ने कार चालक को अपने नाम व पद का परिचय देकर कार चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजेन्द्र सिंह पुत्र जुगराज सिंह निवासी शंकरधाम मैन रोड बालीथा कोटा का होना बताया, जिससे पुलिस जाप्ते को देखकर कार को भगा कर ले जाने का कारण पूछा व कार के बारे में पूछा कि कार में क्या है तो अजेन्द्र सिंह ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। कार की तलाशी लेना आवश्यक होने से रमेश कानि. को स्वतंत्र गवाह लाने के लिये मौखिक आदेश देकर भेजा, जिसने 10 मिनट बाद वापस आकर

बताया कि रात्री का समय होने के कारण कोई व्यक्ति कानूनी पेचिदगीयों के कारण गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ जिस पर जाप्ते में से रमेश कानि. व गजराज हेडकानि. को गवाह बनने के लिये मौखिक सहमति प्राप्त कर दोनों को गवाह मामूरकर अजेन्द्र सिंह की कब्जे की कार को चेक किया तो कार की डिक्की में निंबू देशी सादा मदिरा शराब 180 एमएल के प्लास्टिक के पव्वों की 25 पेटियां मिली। प्रत्येक पेटी में 48 पव्वे शराब के भरे हुए मिले। पव्वों पर नीले रंग का ढक्कन लगा हुआ था जिन पर ए व एग्रो बायोटिक ईंडस्ट्रिज लिमिटेड अजीतगढ लिखा हुआ था। सभी पव्वों पर निंबू देशी सादा मदिरा का लेबल लगा हुआ था तथा कार की पीछे की सीट पर देशी मदिरा सादा शराब 180 एमएल के प्लास्टिक के पव्वों की 15 पेटियां मिली। प्रत्येक पेटी में 48 पव्वे देशी मदिरा सादा शराब 180 के भरे हुए सीलबंद मिले जिन पर लाल रंग का ढक्कन लगा हुआ था जिस पर राज. स्टेट गंगानंगर शुगरमिल लिमिटेड लिखाा हुआ था तथा देशी मदिरा सादा का लेबल लगा हुआ था। अजेन्द्र सिंह से देशी शराब अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत् अनुज्ञा पत्र मांगा तो उसने नहीं होना बताया। अजेन्द्र सिंह का कृत्य धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से अजेन्द्र सिंह के कब्जे से मिली निंबू देशी सादा मदिरा शराब के पव्वों की 25 पेटियां, देशी मदिरा सादा शराब के पव्वें की 15 पेटियां जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। 25 पेटियों में एक ही लेबल की शराब होने के कारण एफएसएल जांच हेतु 25 पेटियों से एक पेटी शराब की निकालकर एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क ए अंकित किया व 15 पेटियां शराब की एक ही ब्रांड की होने से उनमें से एक पेटी एफएसएल जांच हेतु निकालकर एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील्डमोहर कर मार्क बी अंकित किया तथा शेष 24 पेटियां निंबू देशी सादा मदिरा छह प्लास्टिक के कटटो में रखकर प्रत्येक कटटे में चार–चार पेटियां रखकर सील्डमोहर कर कटटो को मार्क सी–1 लगायत मार्क–सी6 अंकित किया तथा शेष मदिरा सादा शराब की 14 पेटियों को प्लास्टिक के चार कटटो में जिनमें तीन कटटो में चार–चार पेटियां व एक कटटे में दो पेटियां रखकर सील्डमोहर कर मार्क डी–1, डी–2, डी–3 अंकित किया व दो पेटी वाले कट्टे को मार्क डी–4 अंकित किया। घटना में प्रयुक्त वाहन कार स्कोडा नंबर आरजे 01 सीए 6009 को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। मौके पर ही फर्द जप्ती मुर्तिब कर व चेकलीस्ट मुर्तिब कर मुलजिम को गिरफ्तार कर मय माल मुलजिम थाने पर पहुचंकर एक तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात के व जप्तशुदा माल व मय मुलजिम के थानाधिकारी लोकेन्द्र पालिवाल के समक्ष पेश किया जिसपर लोकेन्द्र पालिवाल थानाधिकारी ने प्रकरण संख्या 293/22 धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसधांन नंदसिंह एएसआई को सुपुर्द किया व मुलजिम को बंद हवालात कर माल को जमा मालखाना किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ मुलजिम अजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूनासील अंकित है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–4 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ मुलजिम अजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी

कायमी मुकदमा व ई से एफ थानाधिकारी लोकेन्द्र पालिवाल के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने से पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी थानाधिकारी लोकेन्द्र पालिवाल के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 14.09.2022 को घटनास्थल का नक्शामौका नंदसिंह एएसआई ने उसकी निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी–3 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल का निस्तारण हो चुका है कि रपोर्ट थाना के.पाटन द्वारा पेश की, जो प्र.पी.–10 है, जिसमें क्रम सं. 3 पर उक्त प्रकरण के माल का निस्तारण का अंकन है। माल नष्ट करने के फोटोग्राफ प्र.पी.–11 लगायत 14 है।

9. जिरह में गवाह कथन करता है कि सूचना मक्केशाह साहब की दरगाह के यहां मिली थी। उनके पास वायरलेस था। उसने अपने व सहकर्मियों के मोबाइल से जब्ती स्थल पर कोई वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी नहीं की व नहीं करवाई।

10. गवाह पी.डब्ल्यू–1 गजराज सिंह, पी.डब्ल्यू–4 सत्यपाल तथा पी. डब्ल्यू–5 रमेश जो कि मौके के गवाहान् होकर अभियुक्त से अवैध शराब की जब्ती के गवाहान् है। तीनों ही गवाहान् ने अपनी मुख्य परीक्षा में हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद करते हुये मुखबिर द्वारा बताये गए सांकेतिक स्थान पर पहुंचने पर घटनास्थल पर अभियुक्त द्वारा कार नंबर आर. जे. 01 सी.ए. 6009 में रखी 40 पेटीयों में रखे अवैध देशी सादा शराब के पव्वों को बिना अनुज्ञापत्र के बरामद किये जाने के कथन किये है। साथ ही गवाह पी.डब्ल्यू–1 गजराज सिंह तथा पी.डब्ल्यू–5 रमेश ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किए है।

11. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू–1 गजराज सिंह कथन करता है कि उसने फोटोग्राफ नहीं खींचे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जब्ती वाले स्थान का स्वतंत्र गवाह नहीं है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जब्ती स्थल से पांच सौ मीटर के दायरे में मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार, डिप्टी साहब आदि के कार्यालय है। उन्होंने शुगर मिल चौराहे पर बेरीकेट लगाये थे, जिसे ओवरटेक करके अभियुक्त चला गया था। ओवरटेक किया तब गाड़ी की स्पीट 20–25 किलोमीटर थी। उन्होंने अभियुक्त को तीन सौ मीटर तक पीछा किया था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि ना तो अभियुक्त ने उन पर गाड़ी चढाई, ना ही उन्हें टक्कर मारी और ना ही बेरीकेट को टक्कर मारी।

12. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू–4 सत्यपाल इस कथन को सही होना बताता है कि लोगबुक में इसका इन्द्राज करना पड़ता है कि वाहन कहां गया और कौन–कौन साथ में गए। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि लोगबुक मौके पर जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है। गवाह इस कथन को सही

होना बताता है कि लोगबुक की कोई प्रमाणित प्रति पत्रावली में नहीं है। रात्रि के करीब दो बजे के आस पास की घटना है।

13. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू—5 रमेश कथन करता है कि कार के कापरेन की तरफ से आते हुए के, उसे रोकते हुए के, चेक करते हुए या तलाश करते हुए उसकी वीडियोग्राफी नहीं हुई। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जहां की वे कार्यवाही कर रहे थे वहां से आबकारी कार्यालय डेढ—दो किलोमीटर की दूरी पर था।

14. गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामभजन, जो कि मालखाना इंचार्ज है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 14.09.2020 को थाना के पाटन में एचएम मालखाना के पद पर तैनात था। उस दिन हरिशंकर एएसआई ने प्रकरण संख्या 293/22 में जप्तशुदा एक कार स्कोडा नंबर आरजे 01 सीए 6009 व एक सीलशुदा प्लास्टिक का कटटा मार्क ए जिसमें नीबू सादा मदिरा की एक पेटी 180 एमएल प्लास्टिक के पव्वों की व एक प्लास्टिक का कटटा सीलमोहर मार्क बी, जिसमें एक पेटी सादा देशी मदिरा 180 एम एल के प्लास्टिक के पव्वे थे व 6 प्लास्टिक के कट्टे सीलमोहर मार्क सी1 लगायत सी6 जिनमें प्रत्येक कटटे में चार पेटियां नीबू देशी मदिरा शराब की थी व चार कटटे प्लास्टिक के सीलमोहर मार्क डी1 लगायत डी3 व डी4, जिनमें डी1 लगायत डी 3 में चार—चार पेटियां देशी सादा मदिरा की व डी4 में दो पेटी देशी सादा मदिरा की थी को जमा मालखाना करने हेतु उसे दिया था जिसें उसने असल मालखाना रजि. के क्रम संख्या 141/2022 दिनांक 14.09.2022 को इंद्राज कर जमा मालखाना किया। दिनांक 27.09.2022 को उक्त प्रकरण में जप्तशुदा सीलशुदा प्लास्टिक का कटटा मार्क ए व बी थानाधिकारी के आदेश से एफएसएल जांच हेतु जमा कराने के लिए मालखाना से निकाल कर मनोज कानि. को मय कागजात के देकर रवाना किया । मनोज कानि. ने सीलबंद प्लास्टिक के कट्टे को एफएसएल जाचं हेतु दिनांक 28.09.2022 को विधिविज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराकर दिनांक 29.09.2022 को रसीद लाकर उसे दी जो उसने मालखाना रजि. में इंद्राज कर अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की। असल मालखाना रजि. प्र.पी 4 है जिस की सत्यापित प्रति प्र.पी 4ए है जो शामिल पत्रावली है।

15. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—4 में माल जमा करने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि माल के साथ फर्द नमूना सील की प्रति भी उसे नहीं दी गई। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने मालखाना में जमा माल का मिलान सील अनुसार फर्द जब्ती से व उस पर लगी सीलों से नहीं किया।

16. गवाह पी.डब्ल्यू—6 मनोज, जो कि एफएसएल सैम्पल को जमा कराने वाला है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 27.09.2022 को

थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन एचएम मालखाना रामभजन हैड कानि. ने प्रकरण सं. 293/2022 में जब्तशुदा माल का नूमना सेंपल मार्क ए व मार्क बी से पैकेट शील्डशुदा मालखाना से निकालकर एफएसएल जांच हेतु जमा कराने के लिये मय कागजात के उसे दिया, जिसको लेकर वह उसी दिन एसपी ऑफिस बून्दी पहुंचा व जिला पुलिस अधीक्षक से अग्रेषण पत्र प्राप्त कर रवाना होकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर दिनांक 28.09.2022 को पहुंचा। जहां दोनों शील्डशुदा पैकेट एफएसएल जांच हेतु जमा करवाया। प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अन्य राजकार्य करता हुआ। दिनांक 29.09.2022 को थाना के.पाटन पहुंचा। एफएसएल जमा कराने की रसीद मालखाना अधिकारी को सुपुर्द की। माल एफएसएल जांच हेतु जमा कराने का थानाधिकारी का पत्र प्र.पी.—7 है। जिला पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र प्र.पी.—8 है। एफएसएल जांच हेतु माल जमा कराने की रसीद प्र.पी.—9 है।

17. जिरह में गवाह कथन करता है कि शील्ड शुदा पैकेट मार्क ए व बी जो उसे दिया था उन पर चिट माल नंबर अंकित था या नहीं उसे याद नहीं। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि तेरह दिन पश्चात् माल उसे संभलाया गया था, जिसका विलंब का कारण नहीं बता सकता।

18. गवाह पी.डब्ल्यू—7 नन्दसिंह, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 14.09.2022 को थाना के.पाटन एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी लोकेन्द्र पालीवाल ने प्रकरण सं. 293/22 धारा 19/54 राज.आब. अधि. में दर्ज कर अनुसंधान मय फर्दात के उसे सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान उसने दिनांक 14.09.2022 को घटनास्थल का नक्शा मौका फरियादी हरिशंकर की निशानदेही से बनाया, जो प्र.पी.—3 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है व बयान फरियादी हरिशंकर ए.एस.आई. गवाह रमेश कानि. गजराज सिंह कानि. सत्यपाल कानि., रामभजन हैड कानि., मनोज कानि. के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। दिनांक 14.09.2022 को जैर हिरासत मुलजिम अजेन्द्र सिंह ने स्वतंत्र पूर्वक मन आईओ को सूचना दी कि वह देशी शराब कुन्हाडी कोटा से ही लेकर आया था। उस स्थान को चलकर बता सकता है। सूचना प्र.पी.—15 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा माल की एफएसएल जांच करवाकर एफएसएल हेतु नमूना सेंपल जमा कराने की रसीद शामिल पत्रावली की। प्रकरण से संबंधित समस्त नकल रपट रोजनामचा की सत्यापित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की, जो प्र.पी.—16 लगायत प्र.पी.—18 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजि. की प्रति शामिल पत्रावली की, जो प्र.पी.—4ए है। प्रकरण में जब्त कार लि आबकारी अधिकारी बून्दी के आदेश से वाहन स्वामी अजेन्द्र को मालखाना इन्द्राज रामभजन हैड कानि. ने सुपुर्द की। फर्द सुपुर्दगी प्र.पी.—19 है जिस पर ए से बी रामभजन हैड कानि. के हस्ताक्षर है। जिसे वह उसके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है। सुपुर्दगी दिये गये वाहन की फोटो शामिल पत्रावली किये गये। प्र.डी.—1 लगायत डी—4 है। जब्तशुदा वाहन की

आरसी की प्रति अजेन्द्र सिंह से प्राप्त कर शामिल पत्रावली, जो प्र.पी.—22 है, जिस पर ए से बी अजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा माल के नमूना सेंपल व एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है, जो प्र.पी.—23 है, जो शामिल पत्रावली है। अनुसंधान से मुलजिम अजेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 19/54 रा.आब.अधि. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके द्वारा पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की, जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

19. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उस जगह को अनुसंधान में शामिल नहीं किया जहां से शराब लाना बताया गया था, फिर स्वयं कहा कि अभियुक्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना से मुकर गया। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी—15 ली गई तब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि अभियुक्त के मुकर जाने वाला तथ्य न्यायिक अधिकारी के समक्ष लाया गया। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसके पश्चात् इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

20. हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू—3 हरिशंकर तथा मौके के गवाहान् पी.डब्ल्यू—1 गजराज सिंह, पी.डब्ल्यू—4 सत्यपाल तथा पी.डब्ल्यू—5 रमेश द्वारा अपने बयानों से यह प्रकट किया है कि जब उन्होंने मुखबिर की सूचना पर सांकेतिक स्थान पर पहुंचकर नाकाबंदी की तो कापरेन की तरफ से गाड़ी नंबर आर.जे. 01 सी.ए. 6009 आती हुई नजर आई। जिसे रूकवाने का प्रयास किया तो गाड़ी को नहीं रोका और अभियुक्त अजेन्द्र सिंह गाड़ी को तेज गति से कोटा की तरफ ले जाने लगा। जिस पर गाड़ी का पीछा कर मेगा हाईवे एग्रो दुकान के पास रूकवाया तथा कार की डिग्गी को चेक किया तो उसमे रखी पेटीयों में अवैध शराब मिली। ऐसी स्थिति में मौके के समस्त गवाहान द्वारा अपनी अटल साक्ष्य से इस तथ्य को साबित किया है कि दिनांक 13.09.2022 को अभियुक्त के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र के गाड़ी की डिग्गी में रखी पेटीयों में अवैध सादा मदिरा शराब बरामद की गई, जिस बाबत् अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं था। संबंधित फर्दों को उक्त गवाहान अपनी अखण्डनीय साक्ष्य से पुष्ट करते हैं। अभियुक्त के सचेतन कब्जे से उक्त समस्त पव्वों की मौके से जब्ती के संदर्भ में गवाहान द्वारा लैशमात्र भी विरोधाभासी कथन अपने बयानों में नहीं किए है।

21. गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामभजन द्वारा स्पष्ट रूप से माल को मालखाने में जमा करने एवं गवाह पी.डब्ल्यू—6 मनोज द्वारा माल एफएसएल में जमा कराने से पहले Intact होना साबित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो—जो नमूना सैम्पल जब्तशुदा माल से लिए गए है, जो ए1 से ए48 व बी1 से बी48 है उन सबमे बाद एफएसएल जांच ए1—57.64, ए2—57.28, ए3—57.73, ए4—57.55, ए5—57.72, ए6—57.49, ए7—58.00, ए8—57.18, ए9—57.75, ए10—57.

51, ए11—57.82, ए12—57.17, ए13—59.66, ए14—57.39, ए15—58.23, ए16—57.40, ए17—58.14, ए18—57.67, ए19—57.38, ए20—57.22, ए21—57.64, ए22—57.71, ए23—57.84, ए24—57.48, ए25—57.38, ए26—57.74, ए27—58.44, ए28—57.86, ए29—57.88, ए30—57.35, ए31—57.20, ए32—57.69, ए33—57.57, ए34—57.69, ए35—57.48, ए36—57.02, ए37—57.18, ए38—57.62, ए39—58.04, ए40—57.27, ए41—58.01, ए42—57.54, ए43—57.72, ए44—59.53, ए45—57.86, ए46—57.70, ए47—57.69, ए48—57.77 व बी1 से बी48 में बाद एफएसएल जांच बी1—53.78, बी2—53.58, बी3—53.45, बी4—53.06, बी5—53.34, बी6—54.05, बी7—53.21, बी8—53.02, बी9—53.36, बी10—53.25, बी11—53.40, बी12—53.04, बी13—53.56, बी14—53.77, बी15—53.64, बी16—53.45, बी17—53.81, बी18—54.09, बी19—54.12, बी20—53.55, बी21—54.27, बी22—54.11, बी23—53.50, बी24—54.04, बी25—54.02, बी26—53.74, बी27—54.18, बी28—53.53, बी29—53.53, बी30—53.40, बी31—53.37, बी32—53.96, बी33—53.91, बी34—53.53, बी35—53.60, बी36—53.41, बी37—53.80, बी38—53.61, बी39—53.94, बी40—53.41, बी41—53.90, बी42—53.39, बी43—53.45, बी44—53.66, बी45—53.42, बी46—53.39, बी47—53.72, बी48—53.64 ethyl alcohol पाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्श पी—23 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है जिसके अवलोकन से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में एफएसएल जांच हेतु प्रेषित नमूनों में ethyl alcohol था जिससे अभियुक्त के कब्जे से जब्तशुदा माल का शराब होना साबित है।

22. जहां तक हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये जाने का अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये हैं तो चूंकि मौके के गवाहान् द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों में यह तथ्य प्रकट किया है कि मौके पर कोई आम व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं था। इस कारण से स्वतंत्र साक़्षी नहीं बनाये गये। दूसरी ओर जबकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपनी अटल साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को साबित करने में सफल रहे है तो केवल स्वतंत्र साक्षी के प्रकरण में गवाह के रूप में पेश नहीं होने से अभियोजन के मामले को दूषित होना नहीं माना जा सकता है। अतः अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध यह संदेह से परे साबित किया है कि घटना की दिनांक को अभियुक्त द्वारा अपने सचेतन कब्जे में पेटीयों में भारी मात्रा में अवैध देशी सादा शराब रखी।

23. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि घटना की दिनांक को जब्ती अधिकारी की अभियुक्त से मौके पर कहासुनी होने के कारण जब्ती अधिकारी द्वारा अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–3 हरिशंकर को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि जब्ती से पूर्व जब्ती अधिकारी की अभियुक्त से कोई कहासुनी हुई हो और इस कारण से रंजिशवश मुकदमा बनाया गया हो और चूंकि जब्ती अधिकारी तथा जब्ती के समस्त गवाहान ने अपनी अटल साक्ष्य से अभियुक्त से सचेतन कब्जे में

अत्यधिक मात्रा की बिना लाईसेंसी अवैध शराब की जब्ती को साबित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क से अभियुक्त पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

24. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट में मुखबिर की सूचना शुगर मिल चौराहे पर आना दर्शित किया गया है, जबकि जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू–3 हरिशंकर द्वारा मुखबिर की सूचना मक्केशाह साहब की दरगाह के यहां माना प्रकट किया है और इस कारण से अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है। उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के सचेतन कब्जे से अवैध शराब की बरामदगी बाबत् कोई संदेह न्यायालय के समक्ष नहीं रहा है और जब्ती अधिकारी हरिशंकर के बयान घटना के लगभग साढे तीन साल पश्चात् लेखबद्ध किए गए है, जिसमे उसके द्वारा मुखबिर की सूचना, तहरीरी रिपोर्ट से भिन्न स्थान पर प्राप्त होना दर्शित किया है, तो भी चूंकि मौके पर अभियुक्त से अवैध शराब की जब्ती पुष्ट हुई है। ऐसी स्थिति में मात्र मुखबिर की सूचना किस स्थान पर प्राप्त हुई इस बाबत् कोई विरोधाभास भी गवाह के बयानों में है तो भी उक्त तथ्य अभियोजन के मामले को संदेहप्रद नहीं बनाता है। अतः अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है।

25. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर उसके द्वारा कुन्हाड़ी कोटा से अवैध शराब लाना दर्शित किया गया था, जो कि जब्ती स्थल से विपरीत दिशा में है। उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–7 नन्दसिंह ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अभियुक्त ने जो धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–15 कुन्हाडी से अवैध शराब लाने बाबत् दी थी उस सूचना से अभियुक्त मुकर गया था और इस कारण से अभियुक्त कुन्हाड़ी से शराब लाया हो यह तथ्य पत्रावली में साबित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थान के संबंध में जो तर्क अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा दिए गए है वह स्वीकार्य नहीं है।

26. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में जब्तशुदा सैम्पलों को एफएसएल जांच हेतु देरी से प्रेषित किया गया है। इस संबंध में मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यू–2 रामभजन ने स्पष्ट रूप से दिनांक 14.09.2022 को हस्तगत प्रकरण के माल को मालखाने में जमा करना अपने बयानों से दर्शित किया है और दिनांक 27.09.2022 को मनोज कानि. को नमूना सैम्पल जांच हेतु देना और मनोज कानि. द्वारा दिनांक 28.09.2022 को एफएसएल में नमूने जमा कर दिनांक 29.09.2022 को रसीद लाना दर्शित किया है। जिसका कोई खण्डन उक्त गवाह की जिरह में नहीं है और उक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि माल वाहक मनोज कानि. ने अपने बयानों से की है और चूंकि उक्त गवाहान के बयानों में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं आया है कि दिनांक 14.09.2022 से दिनांक 27.09.2022 तक की स्थिति में उक्त जब्तशुदा

व नमूना सैम्पल इनटेक्ट न रहे हो, अपितु उक्त समस्त माल मालखाने में उक्त समस्त अवधि के लिए जमा रहा था और एफएसएल वाहन मनोज कानि. द्वारा नमूना सैम्पल एफएसएल में जमा कर उसकी रसीद मालखाना इंचार्ज के समक्ष पेश की थी और ऐसी स्थिति में माल को देरी से एफएसएल में भेजा जाना दर्शित नहीं आता है। चूंकि न्यायालय को तो जब्तशुदा माल की Intactness देखनी है, जो कि गवाहान के बयानों से पुष्ट है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से दिया गया उक्त तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

27. अतः अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त के सचेतन कब्जे से दिनांक 14.09.2022 को समय 2:30 बजे या उसके लगभग बमुकाम त्रिलोक एग्रो के पास मेगा हाईवे के.पाटन में अवैध नीम्बू देशी सादा मदिरा 180 एमएल के प्लास्टिक के पव्वे की 25 पेटीयां, प्रत्येक पेटी में 48 प्लास्टिक के पव्वे, देशी मदिरा सादा शराब 180 एमएल के प्लास्टिक के पव्वे की 15 पेटीयां अपने वाहन नंबर आर.जे. 01 सी.ए. 6009 में बिना अनुज्ञा पत्र परिवहन हेतु अपने कब्जे में रखा, जिनको रखने बाबत् कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

28. अतः **अभियुक्त अजेन्द्र सिंह** पुत्र जुगराज सिंह, निवासी श्रीशंकर धाम जैन बालिता रोड नियर अम्बर मैरिज गार्डन कुन्हाड़ी कोटा, पुलिस थाना कुन्हाड़ी, जिला कोटा (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनिमय में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त समझे जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u>

29. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

30. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निल है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त से अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गई है। ऐसी प्रकृति के मामलों में यदि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो समाज में अवैध शराब से संबंधित आपराधिक प्रकरण बढेंगे व समाज में गलत संदेश जायेगा। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ न दिया जाकर जब्तशुदा अत्यधिक मात्रा की शराब को दृष्टिगत रखते हुए उचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

31. अतः **अभियुक्त अजेन्द्र सिंह** पुत्र जुगराज सिंह, निवासी श्रीशंकर धाम जैन बालिता रोड नियर अम्बर मैरिज गार्डन कुन्हाड़ी कोटा, पुलिस थाना कुन्हाड़ी, जिला कोटा (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध पाए गए अपराध के लिए निम्न तालिकानुसार दण्डित किया जाता है:—

अभियुक्त का नाम	**दोषसिद्धि अपराध अन्तर्गत धारा**	**कारावास**	**अर्थदण्ड**	**व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड**
अजेन्द्र सिंह	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	03 वर्ष का साधारण कारावास	20,000/— रूपये	06 माह का साधारण कारावास

32. अभियुक्त को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/— रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

33. अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

34. अभियुक्त जमानत पर आजाद है, जिसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताये जाने हेतु नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

35. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा शराब को पूर्व में न्यायालय के आदेश से नष्ट किया जा चुका है।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

36. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **28 जुलाई, 2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी